भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **3477** जिसका उत्तर

शुक्रवार, 21 मार्च, 2025/ 30 फाल्गुन, 1946 (शक) को दिया जाना है

भारत का हरित समुद्री परिवर्तन

† 3477. श्री आलोक शर्मा :
श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर :
श्री अनुराग सिंह ठाकुर :
श्रीमती कमलजीत सहरावत :
श्री प्रदीप कुमार सिंह :
श्री देवुसिंह चौहान :
श्री अनुराग शर्मा :
श्री मनोज तिवारी :
श्री बलभद्र माझी :
श्री शंकर लालवानी :
श्रीमती अपराजिता सारंगी :
श्री जनार्दन मिश्रा :

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत के हरित समुद्री परिवर्तन की प्रगति पर नज़र रखने तथा सार्वजनिक रूप से रिपोर्ट करने के लिए क्या तंत्र स्थापित किए गए हैं;

(ख) क्या उभरती हुई हरित नौवहन प्रौद्योगिकियों के लिए समुद्री कर्मचारियों को तैयार करने हेतु सरकार द्वारा कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने अमृत काल विजन 2047 के अनुरूप समुद्री क्षेत्र के लिए कोई विशिष्ट कार्बन कटौती लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(ङ) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क): पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू) ने मई 2023 में महापत्तनों के लिए "हरित सागर" हरित पत्तन दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों में पर्यावरण निष्पादन संकेतकों से संबंधित डेटा को ट्रैक करने और प्रकाशित करने की रूपरेखा दी गई है।

(ख) और (ग): भारत सरकार ने नौवहन महानिदेशालय (डीजीएस) के माध्यम से विशेष रूप से गैसों या अन्य लो-फ्लैशपॉइंट फ्यूल (आईजीएफ कोड) का उपयोग करके अंतर्राष्ट्रीय पोत सुरक्षा संहिता के अंतर्गत आने वाले ईंधनों का उपयोग करने वाले पोतों पर फोकस करते हुए समुद्री कामगारों को उभरती हुई हरित नौवहन प्रौद्योगिकियों के लिए आवश्यक कौशल से लैस करने के लिए निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए हैं:

i. आईजीएफ कोड के अंतर्गत आने वाले ईंधनों का उपयोग करने वाले पोतों के लिए बुनियादी प्रशिक्षण।

ii. आईजीएफ कोड के अंतर्गत आने वाले ईंधनों का उपयोग करने वाले पोतों के लिए उच्च स्तरीय प्रशिक्षण।

इन दोनों प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उद्देश्य वैकल्पिक ईंधनों और उन्नत ईंधन प्रणालियों की हैंडलिंग में समुद्री कामगारों की सक्षमता को बढ़ाना है, जिससे हरित नौवहन और सतत समुद्री विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता में सहयोग मिलेगा।

(घ) और (ङ): अमृत काल विजन 2047 के अनुरूप निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिसमें व्यापक हरित पहल के माध्यम से भारत के समुद्री क्षेत्र को पर्यावरणीय अनुकूल संधारणीय उद्योग में बदलने पर उल्लेखनीय जोर दिया गया है:

iii. कार्बन उत्सर्जन में कमी - 2030 तक प्रति टन कार्गो के कार्बन उत्सर्जन में 30% की कमी लाना तथा 2047 तक 70% की महत्वाकांक्षी कमी लाना।

iv. 2026 तक हांगकांग समझौते (पर्यावरणीय संधारणीय रीसाइक्लिंग पर) के अनुपालन के लिए शिप ब्रेकिंग यार्डों को सहायता प्रदान करना।

v. 2029 तक देश में 5 ग्रीन हाइड्रोजन/अमोनिया हब तथा 1000 से अधिक हरित जलयानों का विकास करना।

vi. नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाना - 2030 तक सभी महापत्तनों पर 60% नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाना, जिसे 2047 तक बढ़ा कर 90% करना है।

vii. ऊर्जा कुशल विकल्प के रूप में तटीय नौवहन को बढ़ावा देना।

viii. तट से पोत तक (शोर टू शिप) तक पावर सप्लाई की व्यवस्था करना।

*****